

कुल पृष्ठ संख्या-32 (कवर पेज सहित)



# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक परीक्षा

(परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिये)

Candidate's Roll No. In English  
(In Figures)   
(In Words) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

परीक्षार्थी का नामांक हिन्दी में  
शब्दों में \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

नोट :- परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखें।  
भाग में अपना नामांक नहीं लिखें।

माध्यम - हिन्दी  अंग्रेजी   
विषय ..... *Business Studies*  
परीक्षा का दिन ..... *Wednesday*  
दिनांक ..... *13-03-2019*

नोट :- परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालना अवश्य करें।


- परीक्षक हेतु निर्देश :- (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य है, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जायेगा।  
(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बायीं ओर निर्धारित कॉलम में लाल इंक से अंक प्रदत्त करें।  
(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें (उदाहरणार्थ : 15 ¼ को 16, 17 ½ को 18, 19 ¾ को 20)

प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी  
(परीक्षक के उपयोग हेतु)

प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक	प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		योग	
15		प्राप्त अंकों का कुल योग (Round off)	
16		अंकों में	शब्दों में
17			
18			

परीक्षक के हस्ताक्षर ..... संकेतांक

प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका के निर्माण में 58 जी.एस.एम. क्रीमवोव कागज ही उपयोग में लिया गया है।165/2019



### परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशंसा पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. प्रश्न-पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें।
3. प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है, उस पर अन्त में "समाप्त" लिखकर अन्त के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।
4. निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
  - (i) उत्तर पुस्तिका के ऊपर/अन्दर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाही गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फोन नम्बर अथवा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें अन्यथा "अनुचित साधनों के प्रयोग" के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
  - (ii) उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़ें नहीं। उत्तर-पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिये। परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या की जांच कर लें यदि पृष्ठ कम/अधिक या क्रम में नहीं हैं तो वीक्षक से तुरन्त बदलवा लें।
  - (iii) परीक्षा केन्द्रों पर पुस्तक, लेख, कागज, केलक्यूलेटर, मोबाईल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा किसी भी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध है।
  - (iv) वस्त्र, स्कैल, ज्यामेट्री बॉक्स पर कुछ न लिखकर लावें। टेबुल के आस-पास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिये, इसकी जांच कर लें।
  - (v) अपनी उत्तर पुस्तिका/ग्राफ/मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दण्डनीय अपराध है, अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ें।
5. उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दण्ड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। बीच में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त न छोड़ें। गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें तथा तिरछी रेखा से काटें।
6. जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर, उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर अंकित करें।
7. भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/अन्तर/विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाये।



परीक्षक द्वारा प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

1. उबन्ध के चौदह सिद्धान्तों का प्रतिपादन फ्रांसीसी विचारक हेनरी फेगोल ने किया था। वे आधुनिक उबन्ध के जनक हैं।

2. पीटर एफ ड्रकर के द्वारा Managing in Turbulent Times नामक पुस्तक 1980 में लिखी गई।

3. मनीबल :- मनीबल कार्य करने की शक्ति का नाम है। आग्निप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति को कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसी कार्य के प्रति रुचि जागृत की जाती है।

4. कपट :- भारतीय उबन्ध अधिनियम 1972 की धारा 17 के अनुसार किसी व्यक्ति या एजेंट के द्वारा जानबूझकर तृतीय पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से उबन्ध किया जाता है तो उसे 'कपट' कहते हैं।

5. उत्तम स्वास्थ्य :- एक नेता का स्वास्थ्य उत्तम होता चाहिए कहा भी गया है कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मास्किपु का निवास होता है। जब नेता स्वस्थ होगा तो वह आसानी से अपना कार्य करेगा।

6. प्रस्ताव :- जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्बन्ध में अपनी विचार इस उद्देश्य से प्रस्तुत करता है कि दूसरा व्यक्ति उस सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति या



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
----------------------------	---------------	-------------------

अस्वीकृति वे तो इसे प्रस्ताव (Proposal) कहते हैं।

7. ज्ञान में वृद्धि :- विपणन प्रबन्ध के द्वारा ग्राहकों की वस्तु के बारे में सम्पूर्ण जानकारी जैसे - कीमत, मात्रा, किस्म व गुणवत्ता के बारे में ज्ञान ही जाता है जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है।

8. ऋग्वेद में बीमा के लिए 'योगक्षेम' शब्द का प्रयोग किया गया है।

9. नए ग्राहक बनाना :- विज्ञापन के द्वारा निम्नलिखित नई-नई वस्तुओं का उत्पादन, नई-नए वाजारों की तलाश करता है। साथ ही विज्ञापन को इतने आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करता है कि ग्राहक उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित हो सकें जिससे नए ग्राहक बनते हैं।

10. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम अगंठन के अनुसार :- "सामाजिक सुरक्षा से आशय समाज के लोगों के लिए उपयुक्त संस्थों के माध्यम से उनके जीवन में आने वाली भावी जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा पदान करने से है।"

शब्द व



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक

प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

11. पेशेवर क्रिया (Professional activity) :- उद्योगिता एक प्रकार की पेशेवर क्रिया ही है। उद्योगिता के द्वारा व्यापक अपने कार्य विशेष में पूर्णता कक्षता प्राप्त कर सकता है। आज उद्योगिता न केवल व्यावसायी वर्ग के लिए अपितु अन्य पेशेवर व्यक्तियों जैसे - डॉक्टर, इंजीनियर, वकील को भी अपने-अपने कार्यों में उद्योगिता को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। आज उद्योगिता स्थापित पेशों की माँति ही पेशेवर क्रिया बन चुकी है जिसके लिए उचित शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त करके कक्ष बना जा सकता है।

12. प्रबन्धन भूमिका (Spokes person's role) :- प्रबन्धन की भूमिका में प्रबन्धक अपनी संस्था से सम्बन्धित सभी प्रकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, व्यवहारों, कार्य विधियों, कार्य पद्धतियों एवं उद्देश्यों के बारे में संस्था से सम्बन्ध रखने वाले सभी आन्तरिक एवं बाह्य पक्षकारों जैसे - ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, ब्रह्मणदाता अंशधारक एवं कर्मचारियों को जागरूक प्रकाश करता है।

13. पूँजी निमिति की प्रोत्साहन (Incentive in capital formation) :- उद्योगिता के द्वारा देश में पूँजी निमिति की प्रोत्साहन मिलता है। हमारे देश का मुख्य विचार रहा है 'आय ज्यादा व खर्च कम' इस प्रकार से देश में खर्च में वृद्धि

होती है। इस वचन को व्यवसाय या उद्योग में अंशों एवं सहयोगियों के माध्यम से लाकर वचन को उत्पादन कार्य में लगाया जाता है। उत्पादन कार्यों में लगाने से देश में पूँजी प्रियोगिता की आवश्यकताओं को पूर्णतया हल मिलता है और देश समृद्ध होता है।

14. आजीवन रोजगार योजना ( Full time on life time employment) :- श्री विलियम जी. ओची के द्वारा प्रतिपादित आभिवृद्धि की विचार धारा का यह मुख्य मान्यता है। इस मान्यता के अनुसार कर्मचारियों को अस्था में आजीवन रोजगार दिया जाना चाहिए। उन्हें बार-बार अपने काम से नहीं निकालना चाहिए ताकि श्रम आवृत्ति एवं श्रम अनुपस्थिति में कमी आ सके। इस योजना के द्वारा कर्मचारी अपने कार्य को मनी प्रकार से जान जाते हैं और उस कार्य में कुशल हो जाते हैं।

15. अन्तर का आधार इश्योरेंस इन्श्योरेंस
- (i) शब्द का इश्योरेंस शब्द का इन्श्योरेंस शब्द  
प्रयोग जीवन बीमा का प्रयोग हानि-अनुबन्धों के लिए पूर्ति बीमा किया जाता है। अनुबन्धों के लिए किया जाता है।
- (ii) बीमाकर्ता इस शब्द से बीमा इस प्रकार के बीमों  
का दायित्व कर्ता का दायित्व में बीमाकर्ता का दायित्व  
निश्चित होता है। निश्चित नहीं होता है।

परीक्षक द्वारा  
प्रदत्त अंकप्रश्न  
संख्या

परीवार्षी उत्तर

16. GST का पूरा नाम Goods and Service Tax है। यह Tax वस्तु की बिक्री के प्रत्येक स्तर पर लगता है। इस प्रकार यह एक बहुस्तरीय कर है। GST वस्तुओं के संवर्द्धित मूल्य पर लगता है। संवर्द्धित मूल्य से हमारा आशय यह है कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर विक्रेता के द्वारा अपने लाभ एवं लागत का जोड़ा गया मूल्य है। GST में तीन प्रकार के करों को शामिल किया गया है। यह कर वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों पर समान रूप से लगता है।

17. GST पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ लगाने वाले दो दस्तावेज निम्न प्रकार से हैं -  
बैंक स्टेटमेंट की प्रतिलिपि।

(ii) आधिकार प्रमाणिका के सम्बन्ध में आधिकार पत्र।

18. प्रबन्ध की सार्वभौमिकता :- सार्वभौमिकता से तात्पर्य होता है कि किसी ज्ञान का सर्वत्र एक समान रूप से लागू होना। यदि इस सम्बन्ध में प्रबन्ध को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि प्रबन्ध के कार्य (नियंत्रण, अंगठन, निर्देशन, नियन्त्रण एवं सम्बन्ध) सभी देशों में समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन प्रबन्ध के सिद्धान्तों का प्रयोग किसी देश-काय-परिधि पर निर्भर करता है। किसी सिद्धान्त को एक ही देश के दो अंगठनों में लागू नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रबन्ध तो सार्वभौमिक है।



लेकिन उसके सिद्धान्त नहीं।

"खंड - 2"

19. "प्रबन्ध एक अदृश्य शक्ति है" (Management is a invisible power) :-

प्रबन्ध एक अदृश्य शक्ति है अर्थात् इस अदृश्य शक्ति को देखा एवं छुआ नहीं जा सकता है केवल इस अदृश्य शक्ति की महसूस किया जा सकता है। किसी भी संस्था की सिद्धान्त एवं शिघ्रता की अपेक्षा का विचार प्रबन्ध के द्वारा ही लगाया जा सकता है। प्रबन्ध के द्वारा ही संस्था के सभी कार्य सुचारु रूप से चल पाते हैं। प्रबन्ध की शक्ति का अनुमान तब किया जा सकता है जब सभी कर्मचारी अपने वातावरण एवं कार्यों से सन्तुष्ट हों, उत्पादन की लागत कम आये, संस्था के प्रत्येक कार्य में सामान्वस्य हो, संस्था के सभी कर्मचारियों के सदैव सौहार्दपूर्ण भाव का वातावरण हो। इस शिघ्रता में इस अदृश्य शक्ति का मान अद्य ही हो जाता है। लेकिन जब संस्था निरन्तर असफल होती जाती है, लागत में वृद्धि होती जाती है तब लोग यह कहकर इस अदृश्य शक्ति की अनुपेक्षा का अनुमान लगाते हैं कि 'संस्था कुप्रबन्ध के कारण डूब रही है।'





इसलिए प्रत्येक अर्थोद्योग में इस अदृश्य (invisible) शक्ति का होना अत्यन्त आवश्यक है। भारत में इसी कारण स्टील, सीमेंट, शक्कर व सूती वस्त्र के उद्योग स्थापना के कुछ समय पश्चात् ही बन्द कर दिये गए। जबकि 1907 में स्थापित स्टील की सबसे बड़ी निजी कंपनी टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी निजी क्षेत्र की सबसे सक्षम एवं प्रगतिशील कंपनी है। यह कंपनी निरन्तर अपने कार्यों से सम्पूर्ण विश्व को उत्तम गुणवत्ता की स्टील पुरान कर रही है।

90. (i) व्यर्थ ठहराव (Void agreement) :- वह ठहराव जो राजस्वियम के द्वारा अवैध नहीं करवाया जा सकता है उसे व्यर्थ ठहराव कहते हैं। इस ठहराव की अवैधता के कई कारण हो सकते हैं जैसे अनुबन्ध के अयोग्य पक्षकारों (अव्यक्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति, मजूर के कारण अयोग्य व्यक्ति) के द्वारा किया गया ठहराव भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 में व्यर्थ घोषित किया जा चुका है। इसी प्रकार यदि ठहराव का उद्देश्य अवैधानिक या अनैतिक हो तब भी ठहराव व्यर्थ हो जाता है। बाली के ठहराव, असम्भव घटना वाले ठहराव, विषादन की असम्भावना वाले ठहराव आदि सभी प्रकार के ठहराव व्यर्थ ठहरावों की श्रेणी में आते हैं।



परीक्षक द्वारा  
प्रदत्त अंक

प्रश्न  
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(ii) व्यर्थ अनुबन्ध (Unv contract) :- वह अनुबन्ध जो मूलतः तो वैध होता है लेकिन कुछ तकनीकी कामियों के कारण राजनियम के द्वारा अवैध बन ही जाते हैं तो उसे व्यर्थ वहराव (Unv contract) कहते हैं। इन तकनीकी कामियों को दूर करने के पश्चात् अनुबन्ध को राजनियम के द्वारा अवैध करवाया जा सकता है। व्यर्थ अनुबन्ध के द्वारा पक्षकारों के मध्य वैवाहिक दायित्व एवं आधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं।

USER-1057019

श. एक प्रबन्धक के रूप में हम अपने संगठन में आभिप्रेरणा की निम्न आविस्त्रीय तकनीकी को अपनाएँगे जो निम्न प्रकार से है -

(ii) पद एवं स्थिति (Status symbolic) :- आभिप्रेरणा की इस आविस्त्रीय तकनीक के द्वारा कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उनके कार्य के प्रति सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें अपने कार्य पर बने रहने के साथ-साथ निरन्तर रूप से उन्हें पदोन्नति के अवसर दिए जाने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति संगठन में अपने वर्तमान पद को बहाल रखने के साथ-साथ विकास करना चाहता है।



(ii) पुरांया एवं सम्मान (Praise and Honour) :-  
 अरंया में किसी कर्मचारी एवं अधीनस्थको उसके द्वारा विचरित समय में निष्पादित और पूर्ण गुणवत्ता से युक्त कार्य के लिए अरंया में उसकी सामाजिक रूप से पुरांया की जाती चाहिए। इसके लिए उगे समय - समय पर विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना चाहिए। उस कर्मचारी को देखकर अरंया के अन्य कर्मचारी में उसी के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है।

(iii) आधिकार प्रत्याघोष (Abuse of Authority) :-  
 अरंया में अपने कर्मचारियों को आधिकारित करने के लिए अधिकारियों के द्वारा अपने कुछ अधिकारों को अपने अधीनस्थों को सौंप देना चाहिए। जब अधीनस्थों को अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो वह अपने कार्य के प्रति अधिक सचेतता एवं सर्तकता पूर्ण व्यवहार करते हैं। उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

(iv) समूह चर्चा (Group discussion) :- अरंया से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के साथ इस सम्बन्ध में चर्चा करनी चाहिए। किसी मुख्य निर्णय के प्रति कर्मचारियों की राय को जाना जा सकता है और उसी



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक

प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

अनुरूप उसे सरंचा में लागू किया जा सकता है।

22. (i) अंतर का आधार एजेंट नौकर अर्थ एजेंट वह व्यक्ति नौकर अपने होता है जो अपने मानिक के मानिक का सम्बन्ध तृतीय पक्षकार के कार्य करता है, साथ जोड़ता है। अनुबन्धात्मक सम्बन्ध स्थापित नहीं करता है।

BSER-16/2019

(ii) पारिवारिक एजेंट को पारिवारिक नौकर को के रूप में कमीशन, फीस या शुल्क पारिवारिक के रूप में वेतन प्राप्त किया जाता है। होता है।

(iii) समायोजन की सरंचा एजेंट पर एक से अधिक समायोजन कार्य कर सकते नौकर को सामान्यतः एक ही समायोजन होता है।

(iv) दोहरी भूमिका एजेंट सभी भी नौकर नहीं बन सकता है। विशेष परिस्थितियों में नौकर एजेंट के साथ-साथ नौकर का दायित्व भी निभा सकता है।



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक

प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

23.

“उद्यमिता एक व्यवहार है” (Entrepreneurship is a practice) यह कथन पूर्णतया सत्य है। उद्यमिता उद्यमी के द्वारा किया गया व्यवहार है न कि उसका व्यक्तिगत गुण। उद्यमी अपने पेशे (Profession) से सम्बन्धित कार्यों के अनुरूप ही व्यवहार को अपनाता है। वह अपने व्यवहार के द्वारा उपक्रम से सम्बन्धित विभिन्न बाह्य एवं आन्तरिक पहलुकारों के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है। यदि उद्यमी में साहायिकता का व्यवहार होगा तो वह समाज में नए-नए वस्तुओं का उत्पादन, नए बाजारों का सृजन, नवीन तकनीक का प्रयोग आसानी से कर पाएगा। उद्यमिता उद्यमी के ‘अन्तर्ज्ञान’ पर आधारित नहीं होती है। इसके लिए निम्न बिंदु स्पष्ट किए जा सकते हैं -

(i) सदाचार (well behaviour) :- एक उद्यमी का व्यवहार अपने सभी आन्तरिक (अशांखारक, स्वामी एवं कर्मचारी) एवं बाह्य पहलुकार (ब्रह्मदाता, विनिर्धायक, आपूर्तिकर्ता) के साथ सदाचार का व्यवहार करता है। सभी पहलुकारों को अपने कार्यों के द्वारा प्रभावित कर सकता है।

(ii) सहयोगी (helpful) :- एक उद्यमी को अपने से सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ सहयोग की भावना को अपनाया चाहिए उसे सभी में सहयोग की भावना को प्रेरित करना चाहिए।



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक

प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(iii) ईमानदारी (Honesty) :- उद्यमी को अपने व्यवहार में ईमानदारी को अपनाना चाहिए। उसे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति का अंश लेना चाहिए। ईमानदारी के द्वारा उद्यमी कुछ समय के लिए तो अवश्य ही महान बन सकता है लेकिन दीर्घकालीन आसक्ति के लिए उसे ईमानदारी के व्यवहार को अपनाना ही होगा।

(iv) चरित्रवान (characterful) :- एक उद्यमी का चरित्र निर्मित होना चाहिए। चरित्रवान व्यक्ति ही अपने मार्गों के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को आकर्षित कर सकता है। कहा भी गया है कि 'चरित्र गया तो सब कुछ गया।' के प्रति सचेत होना चाहिए।

24. प्रबन्ध के सामाजिक उत्तरदायित्व के स्तर निम्न प्रकार से हैं -

(i) निम्न स्तर - सामाजिक बाध्यता - प्रबन्ध के इस स्तर पर प्रबन्धक अपनी संस्था से सम्बन्धित सभी प्रकार के कानूनी, दायित्वों एवं नियमों का पालन करती है। यद्यपि यह सभी कार्य वह कानूनी बाध्यता के कारण करती है। इस प्रबन्ध स्तर पर प्रबन्धक अपने नामों को



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

शाहीक से अधिक शक्ति करने में आने वाली रक्षावली को दूर करने के लिए अपने दायित्वों को निवह करता है। आज प्रत्येक देश की सरकार ने अपनी के सामाजिक दायित्वों को निभाने के अनेक कानूनी एवं विधायी का निर्माण कर लिया है जिसके द्वारा ही एक पक्ष को अपने व्यवसाय को उन्नति की ऊँचाई तक पहुँचा सकता है।  
(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार)

(ii) मध्य स्तर - न्यायिता की भावना :- इस पक्ष स्तर पर पक्ष सामाजिक बाध्यता की भावना से घोंडा ऊपर उठकर समाज के प्रति अपने दायित्व का निवह करता है वह समाज की आसन्नताओं, आवश्यकताओं, रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप ही वस्तुओं का उत्पादन करता है। इस स्तर पर पक्ष को अपनी सम्पत्तियों का पुन्यासी भाग जाता है जिसे अपनी से सम्बन्धित विधि लेने होते हैं। यह समाज को एक सहभागीकार के रूप में मानकर चलता है और उसके हितों को अपनता है।

(सौशल विकास कार्यक्रम)

पक्ष की सामाजिक उत्तरदायित्व

निम्न स्तर - सामाजिक बाध्यता

मध्य स्तर - सामाजिक न्याय न्यायिता की भावना



परीक्षक द्वारा  
प्रदत्त अंक

प्रश्न  
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

→

उच्च स्तर - सामाजिक  
जाति संचेतना

95.

हमारे विचार में बीमा के विभागीय दो प्राथमिक  
कार्य होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं -

(i)

जीवित्तों के विरुद्ध निश्चितता उदात्त करना  
(Security against risks) :-

उल्लेख व्यक्तियों के जीवन एवं व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिम होती हैं। उसे उद्योग जीवित्तों को बचाने करना पड़ता है। उल्लेख व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के पश्चात् अपने परिवारजनों की, व्यवसायी को अपने माल व वस्तु सेवा की जोखिम दिव्य-प्रतिदिव्य होती रहती हैं। बीमा के द्वारा व्यक्तियों की इस आर्थिक प्रकार की जोखिम से सुरक्षा उदात्त की जा सकती है। बीमित व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा उदात्त की जाती है। यदि बीमित व्यक्ति अचानक समाप्त होने के पश्चात् भी जीवित्त रहता है तो जीवन बीमा अनुबन्धी में उसको पूर्व निश्चित राशि बीमित के साथ उदात्त कर दी जाती है। हानिपूर्ति अनुबन्धी (आग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा) के द्वारा व्यवसायी को अपनी माल एवं सेवा की सुरक्षा उदात्त कर दी जाती है।





परीक्षक द्वारा प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(ii) जोखिमों का विभाजन (distinction of risks) बीमा के द्वारा एक व्यक्ति की जोखिम जिसे वह अकेला वहन नहीं कर सकता है मिलजुल कर वहन कर लिया जाता है। 'अर विनियम वेबरीज' के अनुसार - सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। बीमा के द्वारा समाज प्रकार की जोखिमों से बिरे व्यक्ति एक कोष में अर्शदान करते हैं और उन्हे कोष में से दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों की आर्थिक हानि को वहन किया जाता है।

PSER-10/2019

36. सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के व्यापित प्रबन्ध प्रारूप को सम्पादित करने वाले अमेरिकी राबर्ट है एवं इन्ही के अनुसार निम्न प्रकार से है -

व्यापित प्रबन्ध प्रारूप :- इस प्रबन्ध स्तर पर प्रबन्धन की समाज के सभी पहलुओं के साथ न्याय का व्यवहार करना होता है। प्रबन्ध स्तर की 'व्यापित प्रबन्ध' की भावना एवं अवधारणा तीसरी मन्दी से परिचित है। इस स्तर पर प्रबन्धन की संस्था की सम्पत्तियों का प्रबन्धी के रूप में माना जाता है। इस स्तर पर समाज की आकांक्षाओं, मूल्यों जीवन स्तर, अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इस स्तर पर यह माना जाता है कि प्रबन्धन समाज



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक प्रश्न संख्या

परीवार्षी उत्तर

के लिए होने वाले हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रतिपादन नहीं करेंगा। इस स्तर पर समाज की समस्याओं, परिशास्त्रिकी अभावों एवं चिन्ताओं के प्रति पूर्वानुमान लगाया जाता है और उसी अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की जाती है। यह प्रबन्ध स्तर अपनी सामाजिक बाध्यता से उपर उठकर समाज के लिए अनेक हितकारी प्रिनसिपलें लेता है। वह अपनी समस्या से सम्बन्धित प्रिनसिपलें में समाज की आकांक्षाओं एवं परिस्थितिकी का विशेष रूप से ध्यान भी रखता है। वह समाज की समस्या के कार्यों में सहभागिता करता है। इस स्तर पर यह मान्यता है कि 'जो मेरे उपक्रम के लिए अच्छा है, वह सम्पूर्ण देश के लिए अच्छा है। (what is good for my organization, is good for whole country)

प्रबन्ध की सामाजिक उत्तरदायित्व

निम्न स्तर - सामाजिक बाध्यता

मध्य स्तर - सामाजिक न्यायिता की भावना

उच्च स्तर - सामाजिक प्रतिसंचेतनता



रीक्षक द्वारा प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

27.

"GST (Goods and Services Tax)" वस्तुओं एवं सेवाओं के संबंधित मूल्य पर लगाया जाता है जैसे किसी व्यापारी ने 1000 ₹ का सामान खरीदा और उसे 3000 ₹ में बेच दिया तो यह अंतर 2000 (3000 - 1000) निम्नता की लागत और लाभ के लिए जोड़ा गया है। माना कि एक व्यापारी जयपुर से 2,00,000 ₹ का सामान खरीदा है और उस पर 10% केन्द्रीय GST और 5% राज्य GST चुकता है। इस प्रकार इस मात्र को वह 4,00,000 ₹ में अजमेर के एक व्यापारी को बेच देता है और उस पर 10% केन्द्रीय GST व 5% राज्य GST चुकता है तो इस प्रकार निम्नता के द्वारा देय tax की गणना निम्न प्रकार की जाएगी

विवरण	राशि
क्रय मूल्य पर राशि	2,00,000
जोड़े :- केन्द्रीय GST (10%)	20,000
जोड़े :- राज्य GST (5%)	10,000
व्यापारी के द्वारा दिया गया क्र	2,30,000

विवरण	राशि
विक्रय मूल्य की राशि	4,00,000
जोड़े :- केन्द्रीय GST (10%)	40,000
जोड़े :- राज्य GST (5%)	20,000
व्यापारी के द्वारा लिया गया क्र	4,60,000



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
		विवरण
		केन्द्रीय GST
		राज्य GST
		विक्रय मूल्य पर देय माल एवं सेवा कर
		40,000
		10,000
		घटाएँ :- क्रय मूल्य पर प्राप्त GST
		20,000
		5000
		व्यापारी द्वारा देय कर
		20,000
		5000

इस प्रकार निर्माता को अपने द्वारा खरीदे एवं बचे गए माल पर केन्द्रीय GST एवं राज्य GST के अनुरूप कर का भुगतान करना होता है। इस प्रकार I GST की निर्गम जमा, GST की निर्गम जमा एवं S GST की निर्गम जमा का भुगतान करना होता है। यह इनपुट कर जमा एवं आउटपुट जमा होता है।

अनुबन्ध (Contract) :- अनुबन्ध एक ऐसा ठहराव है जो कि पक्षकारों के मध्य वैधानिक कार्यत्वो एवं आधिकारी के उत्पन्न करता है। अनुबन्ध शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के contractum से हुई है जिसका अर्थ होता है - साथ-साथ काम करना।

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा '2 (H)' के अनुसार - "अनुबन्ध एक ऐसा ठहराव है जो कि राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होता है।"



शिक्षक द्वारा  
दत्त अंक

प्रश्न  
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

अनुबन्ध = ठहराव + शब्दविभक्त द्वारा उवर्तीतीय

एक वैध अनुबन्ध के लिए 12 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है जो कि निम्न प्रकार से है-

- (i) दो या दो से अधिक पक्षकार
- (ii) ठहराव
- (iii) वैधानिक सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा
- (iv) सहमति
- (v) स्वतन्त्र सहमति
- (vi) पक्षकारों में वैधानिक अनुबन्ध स्थापित करने की क्षमता
- (vii) वैधानिक प्रतिफल
- (viii) वैधानिक उद्देश्य
- (ix) निष्पादन की सम्भावना
- (x) व्यर्थ घोषित ठहराव न हो
- (xi) वैधानिक औपचारिकताओं का पालन
- (xii) निश्चितता ।

इन्में से 6 का वरति निम्न प्रकार से किया जा रहा है-

(i) दो या दो से अधिक पक्षकार (Two and more than two parties) :- एक वैध अनुबन्ध के लिए आवश्यक है कि कम से कम दो पक्षकार अवश्य ही हों। एक पक्षकार पुरस्तावक की पक्षकार के समान पुरस्ताव को रखता है और दूसरा पुरस्तावगृहिता की पुरस्तावक के



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
		<p>द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। जिस प्रकार से विवाह में दो पक्षकारी वर व वधू का होना आवश्यक है, उसी प्रकार से अनुबन्ध के लिए भी कम से कम दो पक्षकार होने आवश्यक होते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं बीमाकर्ता एवं वीमित, मकान मालिक एवं किरायेदार आदि।</p>
	(ii)	<p><u>दृष्टाव (Agreement)</u> :- वैध अनुबन्ध के लिए आवश्यक है कि पक्षकारों के मध्य दृष्टाव हो। यह दृष्टाव पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रकार मान लीकर वैधानिक प्रकार का होना चाहिए। वैधानिक दृष्टाव के द्वारा ही पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्वों एवं अधिकारों का सृजन होता है।</p>
	(iii)	<p><u>सहमति (acceptance)</u> :- वैध अनुबन्ध के लिए आवश्यक है कि अनुबन्ध करने वाले पक्षकारों के मध्य सहमति हो। किसी पक्षकार की सहमति को जाने बिना वह दृष्टाव अनुबन्ध नहीं बन सकता है।</p>
	(iv)	<p><u>स्वतन्त्र सहमति (freedom acceptance)</u> :- स्वतन्त्र सहमति से आशय यह है कि सहमति किसी भी प्रकार</p>



प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

की देवाव (उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वक्ति एवं गलती) के आधार पर नहीं ली गई है।

(घ) वैधानिक प्रतिफल :- एक वेद्य अनुबन्ध के लिए आवश्यक है कि उसका प्रतिफल वैधानिक हो। प्रतिफल से हमारा आशय 'कुछ के बदले कुछ से है।' भारतीय अनुबन्ध आधिप्रियम में बिना प्रतिफल वाले ठहराव को व्यर्थ घोषित किया है।

(ग) वैधानिक उद्देश्य (Legal objective) :- एक वेद्य अनुबन्ध के निर्माण के लिए आवश्यक है कि उसका उद्देश्य लोकरीति या राजनीति के विरुद्ध नहीं हो।

(29) व्यूहरचनात्मक उबन्ध :- संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु संस्था को सम्बन्धित आन्तरिक एवं बाहरी घटकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्रियाओं के स्वरूप का विचरिण करना ही व्यूहरचनात्मक उबन्ध है।

अमेरिकी रिसर्च इन्स्टीट्यूट के अनुसार - व्यूहरचनात्मक उबन्ध संस्था के आन्तरिक एवं बाहरी घटकों को ध्यान में रखते हुए संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपगई जाने वाली व्यवस्थित क्रियाओं का समूह है।



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

व्यवसायिक प्रबंध वर्तमान के गला घोट प्रतियोगिता में स्वयं का आश्रित्व बनाए रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। आज यदि संस्था को अपनी प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलना है तो वह व्यवसायिक प्रबंध के द्वारा अपनी सभी क्रियाओं के स्वरूप का निश्चिन्त कर सकता है।

इसकी आवश्यकता के निम्नलिखित कारण हैं-

(i) व्यवसाय का कुशल संचालन (A good operation of Business) :- व्यवसायिक प्रबंध के द्वारा एक संस्था का कुशल संचालन किया जा सकता है। व्यवसायिक प्रबंध के द्वारा प्रबंध अपनी संस्था में नवाचारी को अपना सकता है, लागत को कम कर सकता है, साथ ही व्यवसाय से सम्बन्धित सभी प्रकार की आन्तरिक एवं बाह्यी जोखिमों को समाप्त कर सकता है।

(ii) उद्देश्यों की स्पष्टता (Clarity of objectives) :- व्यवसायिक प्रबंध के द्वारा संस्था के सभी उद्देश्यों की कर्मचारियों एवं अधीनस्थों के समक्ष स्पष्टता हो जाती है। व्यवसायिक प्रबंध के द्वारा संस्था के कर्मचारी यह जान जाते हैं कि





परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
		<p>संस्था उनसे नचा चाह रही है और संगठन नहीं जा रहा है। इस प्रकार संस्था के कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि होती है।</p>
	(iii)	<p><u>परिवर्तनो का आग्रह प्रबन्ध (Easy Management of change)</u> :- सामान्यतः कर्मचारियों एवं अधिकारियों का परिवर्तनो के प्रति नकारात्मक विचार होता है। वे परिवर्तनो को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में व्यूहसूत्रात्मक प्रबन्ध के द्वारा उन्हें उन नए परिवर्तनो की उपयोगिता एवं मूल्यों के बारे में बताकर उनका आसानी से प्रबन्ध किया जा सकता है।</p>
	(iv)	<p><u>संस्था की रण्यारी में वृद्धि (Increase in growth of organization)</u> :- व्यूहसूत्रात्मक प्रबन्ध तकनीक के द्वारा संस्था के कर्मचारी एवं अधिकारियों के द्वारा किए गए पूर्ण गुणवत्ता से युक्त कार्यो के लिए उन्हें पुरस्कार एवं प्रशंसा की जाती है ताकि कर्मचारी संस्था के प्रति आपत्त्व की भावना रखे और रण्यारी में वृद्धि हो।</p>
	(v)	<p><u>सर्वश्रेष्ठ निर्णय में सहायक (helpful in well best decision)</u> :- व्यूहसूत्रात्मक प्रबन्ध के द्वारा संस्था में सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिया जा सकता है -</p>
	(i)	<p>फिरि माय से सम्बन्धित तथ्य, समक एवं योजना प्रदान करने</p>
	(ii)	<p>संस्था के सभी कर्मचारियों की भागीदारी के द्वारा</p>

परीक्षक द्वारा  
प्रदत्त अंकप्रश्न  
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(vi) संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि (Increase in efficiency of institution) :-

उत्कृष्ट रचनात्मक प्रबन्ध के द्वारा संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सकती है। यह तकनीक अपनी कर्मचारियों के समस्त आधिक्य स्पष्ट रूप से उद्देश्यों की प्रस्तुत करती है।

(30) उपभोग्य संवर्द्धन विधियाँ (Methods of increase in number of customer) :-

उपभोग्य संवर्द्धन विधियाँ वे विधियाँ होती हैं जो उपभोग्य की आधिक्य से आधिक्य वस्तुओं एवं सेवाओं को आधिक्य के लिए प्रेरित कर सकें। इससे विपत्ति की वस्तुओं की माँग में वृद्धि होती है।

विपत्ति के द्वारा उपभोग्य संवर्द्धन की अनेक विधियाँ होती हैं जो इस प्रकार से हैं -

- (i) मुफ्त नमूनों का वितरण
- (ii) प्रतियोगिताएँ
- (iii) घटे हुए मूल्य पर विक्रय
- (iv) कूपन
- (v) प्रेस एवं प्रदर्शितियाँ
- (vi) प्रीमियम
- (vii) अनिश्चित मात्रा उपहार
- (viii) क्रियात्मक प्रदर्शन
- (ix) विक्रयों परान्त सेवक



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक

प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(x) आकर्षक पैकेजिंग

इस उपभोक्ता सर्वेक्षण विधियों में से 6 का वस्तु विवरण प्रकार से किया जा रहा है -

(i) घटे हुए मूल्य पर विक्रय :- इस उपभोक्ता सर्वेक्षण विधि का उपयोग विशेष अवसरों जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, राश्ट्र का स्थापना दिवस एवं महात्मा गाँधी जयन्ति पर वस्तु के मूल्य में से कुछ मूल्य कम करके विक्रय किया जाता है। इस विधि द्वारा प्रचलन में बाहर हुए स्टॉक को बेचने के लिए किया जाता है।

(ii) मौले एवं प्रदर्शनीयता :- उपभोक्ता सर्वेक्षण की इस विधि में वस्तुओं एवं सेवाओं को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाता है ताकि ग्राहक उन्हें देखकर उन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। राष्ट्रीय पुस्तक मेला, शू फेयर, हस्ताशिल्प की वस्तुएँ आदि अनेक प्रकार के कार्यों के लिए इस विधि का उपयोग होता है।

(iii) प्रीमियम (Premium) :- प्रीमियम का तात्पर्य है कि किसी वस्तु को खरीदने पर अनिश्चित वस्तु को देना। जैसे - पैकेट के एक पैकेट के साथ खर देना, गोमती के पैकेट के साथ स्टैंड देना। साथ ही टूथपेस्टर के पैकेट के साथ टूथब्रश देना, क्रीम की डब्बी के साथ लिप



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक

प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

बॉम देना आदि जीमिचम के उदाहरण हैं।

(iv) ~~आग्नेय मात्रा उपहार स्वरूप :- कभी-कभी~~  
 द्वारा वस्तु के पैकेट की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। इस उपभोगा संबंधित विधि का उपयोग सौन्दर्य प्रसांचन की वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे - फेयर एंड लवली पर 25% extra।

BSER-16/5/2019

(v) ~~विक्रय पराल सेवाएँ :- उपभोगा संबंधित विधि~~  
 की सेवा प्रदान की जाती चाहिए। विक्रय के पश्चात् विधि के द्वारा ग्राहकों को अधिक क्रय करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे - गृह सुपुर्कगी, समस्याओं का समाधान करना आदि। इस अवाची में उपभोगा की वस्तु की देखभाल की चिन्ता नहीं होती है।

(vi) ~~आकर्षक पैकेजिंग :- जब किसी वस्तु का पैकेज~~  
 सहज ही उपभोगा को आकर्षक होता है तो वह करता है। इसके लिए क्रय करने के लिए प्रेरित आकर्षक रंगी एवं चित्रों का उपयोग उत्पाद पर किया जाता है।